सं0-29/2018/1516/62-2-2018-2/3(38)/2018

प्रेषक,

जुहैर बिन सगीर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- मुख्य अभियंता,
लघु सिंचाई विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

2- निदेशक,
भूगर्भ जल विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 28 मई, 2018

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत अनुदान संख्या-13 के अधीन स्वीकृत जी0आई0एस0 मैपिंग में प्राविधानित धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग के पत्र संख्या-109/ल0सिं0/बजट-जी0आई0एस0 मैपिंग/2017-18, दिनांक 26.04.2018 एवं शासनादेश संख्या-1667/62-2-2016-19एम0आई0/2014टी0सी0, दिनांक-16.06.2016 तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत अनुदान संख्या-13 के अधीन जी0आई0एस0 मैपिंग में प्राविधानित धनराशि रू0-48.40 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0-39.40 लाख (रू0-उन्तालीस लाख चालीस हजार मात्र) को मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश तथा धनराशि रू0-9.00 लाख (रू0-नौ लाख मात्र) को निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश के निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैः-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत जी0आई0एस0 मैपिंग की योजना पर व्यय हेतु है।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि को किसी ऐसे मद पर कदापि व्यय न किया जाये, जिसके लिये वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल एवं शासन के अस्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासन या सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, ऐसा व्यय शासन/सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जाय।

(3) प्रश्नगत योजना के क्रियान्वयन के संबंध में शासनादेश संख्या-1667/62-2-2016-19 एम0आई0/2014 टी0सी0, दिनांक-16.06.2016 में निर्गत विस्तृत दिशा-निदेर्शो का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण कोषागार से आवश्यकतानुसार ही किश्तों में किया जाय। सी0सी0एल0 प्रणाली के संबंध में वित्त (लेखा) अनुभाग द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(5) अवमुक्त धनराशि से किसी भी दशा में अधिक व्यय न किया जाय तथा समस्त व्यय सम्बन्धित शासनादेशों तथा शासन के अस्थाई नियमों में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(6) आपको पुनः स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त धनराशि की प्राप्ति की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा व्यय अवमुक्त धनराशि तक ही सीमित रखा जाय। व्यय में की गयी किसी भी अनियमितता के लिये आहरण एवं वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

(7) यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाय कि अवमुक्त धनराशि के प्रत्येक बिल पर सही, सम्पूर्ण, मुख्य, लघु, उप एवं विस्तृत लेखा शीर्षक अंकित किया जाय और प्रत्येक बिल के ऊपर दाहिनी ओर लाल स्याही से आयोजनागत शब्द अवश्य लिखा जाय अन्यथा महालेखाकार कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी। अवमुक्त धनराशि में यदि किसी संशोधन की आवश्यकता हो तो उसकी सूचना मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग के माध्यम से शासन को दी जायेगी।

(8) विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक-06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कडाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(9) अवमुक्त धनराशि के समक्ष किये गये व्यय निम्नलिखित समय सारणी के अनुसार निर्धारित रूप पत्रों में मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध कराये जायें।

1-	मासिक व्यय विवरण आगामी माह की	05 तारीख तक
2-	प्रारम्भिक व्ययाधिक तथा बचत विवरण	15.10.2018 तक
3-	व्ययाधिक तथा बचत का अंतिम विवरण	15.12.2018 तक
4-	वर्ष 2018-19 के आवंटन का अंतिम लेखा विवरण (पुनर्विनियोग का प्रस्ताव) यदि कोई हो	15.02.2019 तक
5-	आवंटन का समर्पण	15.03.2019 तक

नोटः- दिनांक 15.03.2019 के बाद कोई भी समर्पण स्वीकार नहीं किया जायेगा।

2. तत्संबंधी व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत अनुदान संख्या-13 के अधीन "लेखाशीर्षक-2702-लघु सिंचाई-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-10-जी0आई0एस0 मैपिंग-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक-30.03.2018 में दी गयी व्यवस्था के क्रम में जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(जुहैर बिन सगीर)
विशेष सचिव।

<u>संख्या-29/2018/1516(1)/62-2-2018, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
3- नियोजन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन।
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 उत्तर प्रदेश शासन।
6- लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
7- निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
8- एन0आई0सी0 की प्रति।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(विभाकर द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in